19/5/20	लम्बी अवधि के बाद अभिलेख उपस्थापित! संबंधित जमाबन्दी रैयत को पुनः नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू–खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों / निर्गत लगान रसीद की मांग करें। उनसे कारण पृच्छा करें कि क्यों नहीं जमाबन्दी को अवैद्य मानते हुए बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4 (h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय। अभिलेख दिनांक 29-05-2020 को उपस्थापित करें। 19.5.2020 अंचल अधिकारी, बलियापुर।
29.05.20 13.07.20	अभिलेख उपस्थापित किया गया। नोटिस तामिला के पश्चात प्राप्त हुआ जमाबंदी रैयत का उक्त भूमि से सम्बन्धित केवाला दलील, का छाया प्रति, नक्शा का छाया प्रति पंजी II का छाया प्रति वर्ष 1985 से लेकर 1996 तक लगान रसीद का छाया प्रति समर्पित किया है। लगान रसीद अद्यतन नहीं है। अतः अग्रेतर कार्यवाही हेतु अभिलेख भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, धनबाद को भेजें। 13.7.2020 अंचल अधिकारी बलियापुर

Entry

अंचल अधिकारी का कार्यालय, बलियापुर (धनबाद)

जमाबंदी रद्द अभिलेख वाद सं0 542 /2016–17

वाद का प्रकार :– बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि0 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच एवं कार्रवाई से संबंधित।

19/8/16

झारखड सरकार के ज्ञापांक–2074/रा0, दिनांक 13.05.2016 सहपठित श्री अनुज मुखर्जी निदेशक, भू–अर्जन–सह–विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र सं0–3–खा0म0निति–119/85/2308/रा0, दिनांक 03.09.1985 एवं सह–पठित राजस्व विभागीय परिपत्र सं0–914/रा0 दिनांक 09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियों की जॉच प्रारम्भ की गई। जाँच के क्रम में हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :–

मौजा देवरा थाना नं0 42 जमा0सं0 608

खाता सं0 178 प्लॉट सं0 713, 717 रकवा 0.47

एकड़ भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार (झारखंड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी–।। पर जमाबंदी रैयत पंडित ... पि– चमरू महतो, देवरा के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जॉचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरूद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम पदाधिकारी के आदेश के/अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/अवैद्य कोडकर बन्दोबस्ती के आधार पर/अवैद्य लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गई है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैद्य प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि0 1950 की धारा 4(h) के तहत जाँच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतए0 संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू–खंड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण पृच्छा करें, कि क्यों उक्त जमाबंदी को अवैद्य मानते हुए बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि0 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्ध करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक 23/09/16 को उपस्थापित करें।

लेखापित एवं संशोधित

19/8/16

अंचल अधिकारी,
बलियापुर।

अंचल अधिकारी,
बलियापुर।

D:\Nitai\Najir Doc\Jmabandi radh abhilekh 14